न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/75 जिला–नागौर

अर्जुनराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम खातिड़ा की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

———–प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, डीडवाना दिनांक 09–07–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 10/2021
बउनवान राज सरकार बनाम अर्जुनराम

————

उपस्थित– 1. श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी तहसीलदार, डीडवाना द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत ग्राम खातिड़ा की ढाणी पटवार मण्डल निमोद खसरा नम्बर 59, 60 की सरहद में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2021 द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता दर्ज करने का आदेश के पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा अविधिक आदेश पारित किया है जिसे चुनौती देने हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधान आड़े नहीं आते है। इसके अतिरिक्त कारोना के दौरान लोकडाउन होने के कारण विभिन्न उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिनांक 15–3–2020 से लेकर 28–2–2022 तक की अवधि को मियाद अपवर्जित कर दी है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण निर्धारित मियाद में ही प्रस्तत है तथा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम केवल मात्र औपचारिकता हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी तहसीलदार, डीडवाना के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नम्बर 120 नवीन खसरा नम्बर 59, 60 रकबा 2.93 हैक्टर जो कि ग्राम खातिडा की ढाणी में अपीलार्थी खातेदार काश्तकार होकर इसी आराजी के खसरा नम्बर 59 में अपनी ढाणी बनाकर इसमें रहवास कर रहा है। ग्राम के अन्य दीगर व्यक्तियों क्रमशः डालूराम पुत्र पन्नाराम, मांगीलाल पुत्र बोदूराम व अमरचन्द पुत्र भागूराम आदि ने एक आवेदन पत्र दिनांक 1–3–2021 को अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलार्थी के खातेदारी

खेत खसरा नम्बर 120 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने पत्र क्रमांक 825 दिनांक 2–3–2021 से उपखण्ड अबधिकारी डीडवाना को परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने पत्र क्रमांक 239 दिनांक 3–3–2021 से तहसीलदार, डीडवाना को निर्देश प्रदान किये गये कि वह परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार डीडवाना ने विवादित आराजियात की एकपक्षीय जांच कर अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से करवाते हुए अपने आदेश क्रमांक 783 दिनांक 9–4–2021 से सम्पूर्ण प्रकरण मय जांच रिपोर्ट सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 9/21 अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजसव अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात अपीलार्थी दिनांक 21–6–2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दिनांक 9–7–2021 को प्रस्तुत किया और उसी दिन अपीलार्थी को सुने बिना सीधे ही निर्णय दिनांक 9–7–2021 पारित कर अपीलार्थी की आराजी में से अवैध रूप से रास्ते को निकालते हुए उसे अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि सहासयक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2021 नॉन स्पीकिंग आदेश है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने के कोई भी समुचित कारण व आधार अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज नहीं किया है। प्रश्नगत प्रकरण में रास्ते की स्वीकृति अथवा रास्ते के अंकन/अमल दरामद की प्रक्रिया नियमानुसार विधिसम्मत तरीके से सम्पादित नहीं की गई है क्योंकि रास्ते को स्वीकृत करने की विधिक प्रक्रिया धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत ही की जानी चाहिए न कि संक्षिप्त तरीके से प्रश्नगत प्रकरण की भांति रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण की भांति रास्ते के अमल दरामद से एक किसान को रास्ते में जाने वाली खातेदारी की आराजी का प्रतिकर अथवा क्षतिपूर्ति राशि ही प्राप्त नहीं होती है जो कि उसका हक एवं अधिकार है। साथ ही रास्ते की मांग करने वाले व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रश्नगत रास्ते से संबंधित पहले से विचाराधीन नियमित राजस्व वाद एवं सिविल अपील के निर्णय तक भू–राजस्व अधिनियम के तहत संस्थित प्रश्नगत प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 9–10–2021 की भी अवज्ञा की गई है क्योंकि इस परिपत्र में रास्ते के इन्द्राज हेतु धारा 251 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के निर्देश राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायलय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के आधार पर कार्यवाही की गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते

समय उक्त परिपत्र का अध्ययन ही नहीं किया गया। परिपत्र दिनांक 10–89–2016 अुसार सार्वजनिक रास्ता जो मौके पर स्थायी रूप से चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं है उसी का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जा सकता है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी में कोई स्थायी अथवा सार्वजनिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है और न ही प्रकरण में नियमानुसार जांच की गई है क्योंकि राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (3) के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन अपीलार्थी को प्रदत्त किया जाना आवश्यक है किन्तु उक्त नियम की अवज्ञा करते हुए ऐसी कोई रिपोर्ट अपीलार्थी को नहीं दी गई। सम्पूर्ण पकरण अन्य काश्तकार यथा डालूराम, मांगीलाल व अमरचन्द के आवेदन से प्रारम्भ हुआ तथा परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के बिन्दु संख्या 3 अनुसार काश्तकार द्वारा अपने खेत पर आवागमन हेतु दूसरे काश्तकार की भूमि में नया रास्ता चाहता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2021 निरस्त किया जाकर रास्ते के प्रकरण का निस्तारण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार, डीडवाना के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 में जनसुविधा को देखते हुए रास्ता दिये जाने के निर्देश है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विवादित आराजियात में पुराना एवं चालू रास्ता है। अन्य किसी भी पक्षकार को उक्त आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11–10–2001 अनुसार ग्राम खातीड़ा की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर के खसरा नम्बर 120, 121, 122, 123, 124, 128, 137, 136, 134 में नजरी नक्शा अनुसार मौके पर आज दिन रास्ता चालू है जो नक्शे व रेकार्ड में बारानी नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में जनसुविधार्थ चालू रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने की सिफारिश की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 127/03 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व रेकार्ड दुरूस्ती प्रार्थना पत्र दिनांक 27–8–2012 को श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है। साथ ही सिविल न्यायाधीश (क0ख.) डीडवाना द्वारा दिनांक 17–2–2011 को प्रकरण संख्या 56/2001 भूराराम बनाम अर्जुनराम में निर्णय पारित कर आदेश दिया है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रबितवादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम को जरिये शास्वत आदेश पाबन्द किया जाता है कि वह वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा ए.बी.सी.डी.ई प्रदर्शित रास्ता में किसी प्रकार का अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही किसी अन्य से कराये।

साथ ही पटवारी हल्का निमोद द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 22–3–2021 में ग्राम खातीड़ा की ढाणी में गत खसरा नम्बर 120 नया खसरा नम्बर 59, 60 रकबा 2.93 हैक्टर किस्म बारानी उत्तम खातेदार अर्जुनराम पुत्र मूलाराम के नाम दर्ज रेकार्ड है खसरा नम्बर 59, 60 ग्राम निमोद की सीमा पर है खसरा नम्बर 60 की परिश्मी सीमा के साथ–साथ रास्ता निकलता है जो मौके पर चालू है लेकिन कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है न ही खातेदारी में रास्ता का अंकन किया हुआ है यही रास्ता खसरा नम्बर 60 के बाद कटाणी रास्ता दर्ज है और चालू है खसरा नम्बर 20 नाडी तक जाता है। विवादित भूमि खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 में ऐसे रास्तों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, की पलना में ही विवादित आराजियत में से रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, डीडवाना को आदेश दिये है साथ ही विवादित आराजियात संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही यथावत बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2021 बउनवान सरकार बनाम अर्जुनराम विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर